न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 19/2024

जी.सी.एम.एस– 2024/30

अपीलार्थी :–

राजूराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी सुराणी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. रूपाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट, निवासी सुराणी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामांतरकरण सं. 895, जो तहसीलदार (भू.अ.), बालेसर द्वारा दिनाक 10.02.2023 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार (अपीलार्थी की ओर से)
2. प्रत्यर्थी सं. 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 26.05.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार (भू.अ.), बालेसर द्वारा ग्राम सुराणी, पटवार मण्डल दुगर के नामांतरकरण सं. 895 पर पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 30.05.2023 को पेश की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 1 रूपाराम को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. पोस्ट से भेजा गया नोटिस दिनांक [illegible].11.2024 को डिलीवर हो गया था, जिसकी पुष्टि में ट्रेक कन्साईनमेंट आदि [illegible] RR477459125IN अपीलांट द्वारा पेश की गई। दिनांक 16.12.2024 को रूपाराम की ओर से श्री अजीत दैया एडवोकेट ने अगली सुनवाई तिथि पर वकालतनामा पेश करने की अंडरटेकिंग दी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:51 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पेश नहीं किया तथा दिनांक 11.03.2025 को पुनः आईदा पेशी पर वकालतनामा पेश करने की अंडरटेकिंग दी, परंतु अगली पेशी तारीख दिनांक 03.04.2025, 17.04.2025, 13.04.2025 एवं 22.05.2025 तक उन्होने वकालतनामा पेश नहीं किया तथा प्रत्यर्थी सं. 1 भी उपस्थित नहीं हुआ है। अतः प्रत्यर्थी पर तामिल पर्याप्त मानते हुए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त हो जाने पर बहस सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एम. परिहार ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि नामांतरकरण सं. 234 पर पारित आदेश को अपास्त करवाने हेतु प्रत्यर्थी ने एक अपील सं. 104/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर में पेश की थी, जिसे दिनांक 12.09.2022 को स्वीकार कर नामांतरकरण सं. 234 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील सं. 516/2022 पेश की तथा अपीलेट न्यायालय ने दिनांक 04.10.2022 को स्थगन आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित करते हुए ग्राम सुराणी के ख.नं. 558/1 बाबत यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये। स्थगन आदेश दिनांक 04.10.2022 की नकल अपीलार्थी ने दिनांक 10.10.2022 को तहसीलदार, बालेसर को पेश कर दी तथा तहसीलदार ने पटवारी दुगर को स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रति भेज दी। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी आदेश दिनांक 12.09.2022 की पालना में अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 895 दिनांक 10.02.2023 को स्वीकृत कर दिया, जो गैर कानूनी व वाक्याती भूल है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, जबकि पटवारी व तहसीलदार को स्थगन आदेश की पूरी जानकारी थी, फिर भी दिनांक 09.02.2023 को नामांतरकरण दर्ज करके 10.02.2023 को स्वीकृत कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर नामांतरकरण सं. 895 पर पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 अपास्त किया जावे तथा सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 144 के प्रावधानानुसार इन्द्राजों का प्रत्यास्थापन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:51 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु धारा 5 परिसीमा एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि दिनांक 02.05.2023 को प्रत्यर्थी व उसके लडकों द्वारा खेत पर आने व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

झगडा करने पर 03.05.2023 को पटवारी से इस नामांतरकरण की जानकारी मिली तथा पटवारी द्वारा स्टे के बावजूद नामांतरकरण दर्ज को अपास्त नहीं करने पर 30.05.2023 की अपील पेश की, जिसे माफ कर म्याद के अंदर शुमार की जावे। यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रत्यर्थी रूपाराम ने उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के कोर्ट में नामांतरकरण सं. 234 को अपास्त कराने हेतु अपील सं. 104/2019 पेश की थी। न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए नामांतरकरण सं. 234 को खारिज कर दिया तथा अपीलांट के नाम पर नामांतरकरण पुनः भरने के आदेश दिये। प्रकरण के तथ्यों अनुसार ग्राम सुराणी के खसरा नं. 558/1 रकबा 38–17 बीघा भूमि अपीलांट द्वारा वर्ष 1970 में जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से क्रय की, जो पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 01 पृष्ठ सं. 315–316 कम सं. 153 पर पंजीबद्ध हुआ, जिस पर नामांतरकरण सं. 197 से अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वर्ष 1983 में राजस्व अभियान केम्प में वर्तमान अपीलांट राजूराम का नाम, 1/3 हिस्से में दर्ज किया गया, जिसे दर्ज करने बाबत कोई आदेश पेश नहीं किया। सहमति के आधार पर पंजीबद्ध दस्तावेजों के बिना राजूराम का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। मात्र स्टांप पेपर के आधार पर अस्थाई संपति का हस्तांतरण नहीं हो सकता। उक्त निष्कर्ष के आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा अपील दिनांक 12.09.2022 को स्वीकार की, जिसके विरूद्ध अपीलांट राजूराम ने एक अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील सं. 516/2022 पेश की तथा आदेश दिनांक 04.10.2022 से उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 12.09.2022 के प्रभाव व पालना को अगली पेशी तारीख 08.12.2022 तक स्थगित कर दिया तथा वादग्रस्त आराजी की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये। जिस पर तहसीलदार, बालेसर ने पत्रांक भू.अ. /2022/2380 दिनांक 10.10.2022 से स्थगन आदेश की प्रति हल्का पटवारी दुगर, पटवारी LRC तहसील कार्यालय व उप पंजीयक शाखा को भेजी गई।

6. तहसीलदार (भू.अ.), बालेसर ने पत्रांक भू.अ./2023/436 दिनांक 09.02.2023 से पटवारी हल्का को उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा अपील सं. 104/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2022 की पालना में ग्राम सुराणी के खसरा नं. 558/1 में नए सिरे से जांच कर अपीलांट रूपाराम के नाम पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 895 दिनांक 09.02.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:51 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को ही पटवारी दुगर द्वारा दर्ज किया गया तथा दिनांक 09.02.2023 को भू.अ.निरीक्षक द्वारा जांच किया गया एवं दिनांक 10.02.2023 को तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में राजूराम ने पेश की है, जिसका मुख्य आधार यह है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील सं. 516/2022 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.10.2022 जारी होने के बावजूद तथा स्थगन आदेश की जानकारी दिनांक 10.10.2022 को होते हुए भी तहसीलदार ने दिनांक 09.02.2023 को नामांतरकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2022 की पालना में दर्ज करने के आदेश दिये जो गलत है तथा नामांतरकरण सं. 895 पर पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 गैर कानूनी होने से अपास्त योग्य है तथा ऐसे गैर कानूनी आदेश से किये गये इन्द्राजों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के तहत प्रत्यास्थापन (Restitution) किया जावे। यह न्यायालय, अपीलांट के उक्त कथनों से सहमत नहीं है। धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यास्थापन का आदेश, प्रार्थना पत्र पेश होने पर आदेश पारित करने वाला न्यायालय ही प्रत्यास्थापन का आदेश दे सकता है।

7. इसके अतिरिक्त अगर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के दिनांक 09.02.2023 को किसी प्रभावशील आदेश की अवहेलना तहसीलदार व पटवारी हल्का दुगर ने की है, तो न्यायालय अवमानना के लिए, अपीलांट अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध सक्षम स्तर पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है तथा स्थगन आदेश की पालना, स्थगन जारी करने वाला न्यायालय ही करवा सकता है।

8. इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील में जो भी आदेश पारित किया जायेगा, उसके अनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु अपीलांट के पास विधिक उपचार उपलंब्ध है।

9. इसके अलावा दोनों पक्षकारों में विवाद की प्रकृति को देखते, इस प्रकार के विवादों का निपटारा नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में करना संभव नहीं है। अपीलांट अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कीमती स्थाई संपति का इन्द्राज अपने पक्ष में करवाना चाहता है, जबकि प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय पारित है। इस प्रकार के विवादों का निपटारा नियमित वाद के जरिये सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है चूंकि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 को अपील विचाराधीन होना बताया है। उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:51 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारों में विवाद है तथा विवादास्पद नामांतरकरणों को निर्णित करने हेतु भू अभिलेख अधिकारी ही सक्षम है तथा भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(1)(f) के तहत निदेशक, भू अभिलेख को पेश करने का प्रावधान है। भू अभिलेख निदेशक की शक्तियां वर्तमान में संभागीय आयुक्त/अति. संभागीय आयुक्त को प्रत्यायोजित की हुई है। उक्त विधिक स्थिति से भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज योग्य है। फलस्वरूप यह अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, बालेसर को लौटाया जावे।

12. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:51 IST
Reason: SelfAttested